न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 72 / 18 निर्णय दिनांकः– 24/12/2021
(जीसीएमएस संख्या 2018 / 00064)

1. जकुब अली पुत्र अलीखॉ जाति मुसलमान निवासी चक 2 केपीएम तहसील धड़साना हाल निवासी सत्तासर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।
2. करीम खॉ पुत्र कादुखॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम सत्तासर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
3. लाकत खॉ पुत्र दिने खॉ
4. सुभानी बानो पत्नी लाकत खॉ

(3–4) जाति मुसलमान निवासी मोतीगढ़ तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 30–12–2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः–

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 30–12–2016 जिसके द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विधि विरुद्ध [illegible] के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन [illegible] में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 2[illegible] अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:44:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–12–2016 के माध्यम से वादग्रस्त भूमि चक 610–200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 68/55 व मुरब्बा नम्बर 68/63 तादादी 22 बीघा 7 बिस्वा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विधि विरूद्व तरीके से किया गया है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अन्य भूमि चक 3 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 27/44 तादादी 25 बीघा भूमि के आवंटन की मांग अपने आवंटन प्रार्थना पत्र में की गई थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को मांग पत्र के विरूद्व जाकर उक्त भूमि का आवंटन किया जाना प्रथम दृष्टया ही सावित है। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया है, उक्त भूमि में से चक 610–200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 68/63 के किला नम्बर 1 ता 7, 9 ता 11, 14 ता 16, 19, 21 व 25 तादादी 12 बीघा 01 बिस्वा भूमि अपीलांट को पूर्व से ही आवंटित थी तथा कुछ रकबा सरकारी आवास, वाटर पम्प, पैट्रोल पम्प व कुछ रकबा सड़क पर अवाप्त है। उक्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा जानबूझकर वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में किया गया है। वर्तमान में मौके पर बीकानेर से अनूपगढ़ सड़क चालू है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर सरकारी भूमि, सड़क की भूमि, वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि व आबाद हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन अपीलाधीन आदेश के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यें को दनकिनार करते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के व बिना वादगत् भूमि की रिपोर्ट प्राप्त किये वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि उक्त दिनांक को जैर अपील अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी तथा शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी ना ही आवंटन योग्य भूमि की श्रेणी की भूमि थी। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को नोटिस देना चाहिए था। जबकि अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:44:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को पूर्व में आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि रही है। उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वर्ष 2007 में वाके चक 3 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 27/44 तादादी 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त भूमि के आवंटन हेतु एक अन्य आवेदक बरकत अली वल्द हाजी अली का भी आवेदन होने पर अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की प्रथम वरियता मानते हुए दिनांक 29–11–2016 को आवंटन किया जाकर आवंटन राशि दिनांक 22–12–2016 को जमा होने के पश्चात् दिनांक 03–03–2017 को आवंटन पट्टा भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में जारी कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उसी आवेदन पत्र पर विकल्प में अन्य भूमि किस प्रकार आवंटित की जा सकती थी। अदालत मातहत द्वारा राजनैतिक दबाव के चलते उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया है। जबकि विशेष आवंटन के नियमों में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान निहित है कि आवेदक द्वारा मांग की गई भूमि का ही आवंटन किया जा सकता है, विकल्प में अन्य भूमि आवंटन के प्रावधान विशेष आवंटन नियमों में निहित नहीं होने पर भी अदालत मातहत द्वारा नियमों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं होने के बावजूद भी तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन, आवंटन नियमों के विपरीत होन से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रकिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानों के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन के तुरन्त पश्चात् ही मुरब्बा नम्बर 68/63 के किला नम्बर 19 व 21 की भूमि का विक्रय रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:44:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

दिया गया है। जिससे साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि का आवंटन मात्र बेचान करने के उद्देश्य मात्र से करवाया गया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट् को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर विधि विरूद्व तरीके से किया गया आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सूचना अथवा नोटिस जारी किये बिना वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में किया गया है। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है तथा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा चक 3 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 27/61 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु वर्ष 2007 में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त भूमि के आवंटन हेतु एक अन्य आवेदक दुलाराम की प्रथम वरियता होने पर उक्त भूमि का आवंटन दुलाराम को किये जाने के फलस्वरूप रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा चक 3 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 27/61 की भूमि के बदले में अन्य भूमि चक 610—200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 68/55 व 68/63 की 25 बीघा भूमि के आवंटन की मांग किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा द्वारा नियम 13 ए (5) (परन्तुक) के अन्तर्गत अन्य रकबा चक 610—200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 68/55 व 68/63 की तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप अन्य आवेदक का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं होने पर उक्त भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता की तहसीलदार द्वारा अभिशंषा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2023.05.05 18:44:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट का यह कथन की वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है, इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट को वादग्रस्त भूमि चक 610–200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 68/63 के किला नम्बर 19 व 21 में 10–10 बिस्वा भूमि आवंटित है, अदालत मातहत द्वारा तमाम रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात् उक्त किला नम्र 19 व 21 की शेष 10–10 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटित की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटित शेष भूमि से अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं होने से अपीलांट को उक्त अपील प्रस्तुत करने की कोई लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट का कथन कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटित भूमि पूर्व से ही वन विभाग, सड़क, सरकारी आवास, वाटर पैम्प व पैट्रोल पम्प हेतु आरक्षित भूमि थी, जोकि आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट केवल मात्र अपने आवंटन तक ही अपील के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार है, वादग्रस्त भूमि यह अन्य किसी प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाई जा रही है, तब ऐसी स्थिति में संबंधित तहसीलदार व संबंधित विभाग को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोई करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। अपीलांट द्वारा दौराने बहस यह कथन किया गया है, जबकि अपीलांट स्वयं द्वारा संबंधित विभाग को अपनी अपील में बतौर पक्षकार स्थापित नहीं किया गया है। जिससे साबित है कि अपीलांट द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर [illegible] अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। प्रकरण में जहॉ तक चक 610–200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 68/63 के किला नम्बर 19 व 21 की भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:44:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विक्रय रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को किये जाने का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि के तमाम अधिकार हासिल किये जाने के उपरान्त अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए उक्त भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन सही है। अतः अपीलांट की अपील गुणावगुण के साथ–साथ लोकस स्टेण्डाई व मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–12–2016 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 03–01–2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:44:30 IST
Reason: SelfAttested

(2) हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ [partly obscured] न्यायालय ने चक 610–200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 68/55 व मुरब्बा [partly obscured] नम्बर 68/63 तादादी 22 बीघा 7 बिस्वा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट [partly obscured] संख्या 2 को बतौर विशेष श्रेणी किया गया है। जिससे व्यथित होकर [partly obscured] अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(3) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि चक 610–200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 68/63 के किला नम्बर 19 व 21 अपीलांट को पूर्व से ही आवंटित भूमि है तथा शेष रकबा सरकारी आवास, वाटर पैम्प, पैट्रोल पम्प, सड़क व वनविभाग हेतु आरक्षित होने के कारण वादग्रस्त भूमि शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं होने पर भी अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया गया है।

(4) इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वर्ष 2007 में चक 3 एसटीएम के मुरब्बा नम्र 27/61 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, उक्त भूमि अन्य आवेदक दुलाराम को आवंटित होने की स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि चक 610–200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 68/55 व 68/63 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन बतौर विशेष आवंटन किया गया है।

(5) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें यह निर्विवाद है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 3 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर27/61 की 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त भूमि के आवंटन हेतु एक अन्य आवेदक दुलाराम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि के आवंटन हेतु अन्य आवेदक दुलाराम पुत्र राजुराम की प्रथम वरियता मानते हुए उक्त भूमि का आवंटन दुलाराम को किये जाने के फलस्वरूप रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि की एवज में अन्य विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि के आवंटन की मांग किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश दिनांक 30–12–2016 के माध्यम से चक 610–200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 68/55 व 68/63 की 25 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:44:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(6) प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् की यह आपत्ति की उक्त भूमि पूर्व से ही अपीलांट् को आवंटित भूमि थी, इस संबंध में हमने उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट् स्वयं अपने अपील मीमों में यह कथन किया है कि चक 610–200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 68/63 के किला नम्बर 19 व 21 पूर्व से आवंटित है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलांट को किला नम्बर 19 व 21 में 10–10 बिस्वा भूमि का आवंटन है, तथा अदालत मातहत द्वारा किला नम्बर 19 व 21 की शेष भूमि अर्थात 10–10 बिस्वा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का यह कथन उक्त भूमि उसे पूर्व से आवंटित थी, दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अदालत मातहत द्वारा मुरब्बा नम्बर 68/63 के किला नम्बर 19 व 21 की शेष 10–10 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने की स्थिति में ही आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विधि सम्मत तरीके से किया जाना प्रस्तुत रिकार्ड से साबित है।

(7) प्रकरण में अपीलांट् की अन्य आपत्ति यह है कि आराजी जैर सरकारी आवास, वाटर पम्प, पैट्रोल पम्प, सड़क व वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि होने से शुद्व रूप से आवंटन योग्य भूमि नहीं होने पर भी अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विधि विरूद्व तरीके से किया गया है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटित भूमि अन्य किसी प्रयोजनार्थ उपयोग व उपभोग में ली जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में संबंधित तहसीलदार जोकि भूमिधारक होता है, संबंधित ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विभाग को उक्त आदेश के विरूद्व न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हुए चाराजोई करनी चाहिए थी। न्यायालय हाजा के समक्ष ना तो संबंधित तहसीलदार अथवा ग्राम पंचायत ने उपस्थित आकर यह कथन किया है ना ही अपीलांट् द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित हो कि उक्त भूमि अन्य किसी प्रयोजनार्थ अर्थात सरकारी आवास, वाटर पम्प, पैट्रोल पम्प, सड़क के उपयोग व उपभोग में लाई जा रही हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट् की उक्त आपत्ति को स्वीकार किये जाने का कोइ युक्तियुक्त व तर्कसंगत कारण प्रतीत नहीं हो रहा है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलांट् विधि में निहित प्रावधानों के तहत किसी प्रकार का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:44:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील अपने अधिकारों की सुरक्षा के बजाय रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के आवंटन को खारिज करवाये जाने के उद्वेश्य मात्र से प्रस्तुत किया जाना साबित होता है।

(8) चूंकि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटन किये जाने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा आवंटित भूमि के बाबत् वांछित राशि खजानाराज में जमा करवाते हुए तमाम अधिकार हासिल होने के उपरान्त आवंटित भूमि में से कुछ भू–भाग का विक्रय रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को किया जा चुका है। अपीलांट् अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार व्यथित है, प्रस्तुत अपील के माध्यम से साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ दिनांक 30–12–2016 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 24/12/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

24/12/2021

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:44:30 IST
Reason: SelfAttested